सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरमेंट ने किया आकलन, कंपनियां सीधे जिलों को देंगी डेवलपमेंट फंड

खान प्रभावितों को मिलेगा 4000 करोड़

रांची | हिन्दुस्तान ब्यूरो

प्रदेश में खान गतिविधियों के कारण प्रभावित हुए लोगों की सहायता के लिए सालाना 4000 करोड़ से अधिक रुपए मिलेंगे। यह राशि प्रभावित लोगों को व्यक्तिगत मदद और सामुदायिक स्तर पर सड़क, पर्यावरण, स्वास्थ्य और जलस्त्रोतों को हुए नुकसान पर खर्च होगी।

माइनिंग कंपनियां यह राशि सीधे जिलों के खनिज विकास कोष में जमा करेंगी। यह नए खान कानून के तहत माइनिंग कंपनियों की कानूनी बाध्यता है। ये बातें होटल लीलैक में सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरमेंट की ओर से आयोजित कार्यशाला में उभर कर सामने आई। यह कार्यशाला माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, 2015 के प्रावधानों को राज्य में सही तरीके से लागू करने के तरीकों को लेकर आयोजित की गई थी। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मीडियाकर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

शुक्रवार को होटल लीलैक में बोलती सुनीता नारायण।

ग्राम सभा खर्च करे पैसाः सुनीता नारायण

जानीमानी पर्यावरणविद् और सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरेंट की प्रमुख सुनीता नारायण ने कहा दूसरी योजनाओं की तरह इस पर खर्च का अधिकार प्रशासनिक पदाधिकारियों का नहीं होना चाहिए। बल्कि, ग्राम सभा इस पर खर्च का तरीका बताए। उन्होंने कहा नए खान कानून के तहत राज्य सरकारों को इस राशि को खर्च करने की नियमावली बनानी है। इसमें यह ध्यान रखना है राशि से बड़े-बड़े पुल जैसे निर्माण कार्य नहीं हो। उन्होंने प्रभावित गांवों में ग्राम खनिज कोष बनाकर इस राशि का उपयोग करने की वकालत की।

ग्रामसभा ही खर्च करेगी खनिज विकास का पैसाः सत्पथी

प्रदेश के खान सचिव एस के सत्पथी ने कहा कि ग्रामसभाओं को ही खनिज विकास कोष का प्रबंधन करना चाहिए। यह राशि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, हाउसिंग, कौशल विकास, लघु सिंचाई, कृषि, खेल प्रोत्साहन और रोजगार सृजन जैसे कामों पर खर्च होने चाहिए। उन्होंने सुनीता नारायण को इस कोष का मैनुअल बनाने में राज्य सरकार को सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया।

विस्थापितों पर देना होगा ध्यान

अर्थशास्त्री रमेश शरण ने कहा झारखंड में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो नए माइंस के कारण एक से दूसरे जिले में विस्थापित होते रहते हैं। ये लोग लाभार्थी की सूची से नहीं छूटने पाएं, इस पर विशेष ध्यान रखना होगा।

बचा लें 20 फीसदी राशिः चंद्रभूषण: पर्यावरणविद् और रीच लैंड, पुअर पीपुल नामक पुस्तक के लेखक चंद्रभूषण ने कहा नए कानून के तहत हजारों करोड़ रुपए राज्य में आने वाले हैं। ध्यान रहे इसमें से 20 फीसदी राशि खनिजों के खत्म होने के बाद भविष्य में बनने वाले भुतहा शहरों में आर्थिक गतिविधि बरकरार रखने के लिए बचा लें।

रॉयल्टी के बराबर पैसा खनिज विकास कोष में देना होगाः नए खान कानून के तहत प्रावधान है कि माइनिंग कंपनियां रॉयल्टी की तय दर के आधार पर जितनी राशि सरकार को देती है, उतनी ही राशि जिलों के खनिज विकास कोष में स्थानीय समुदाय के विकास के लिए देनी होगी।

झारखंड में खनिजों से सालाना 3500 करोड़ रुपए की रॉयल्टी आती है। वहीं नए खानों से लगभग 1500 करोड़ की रॉयल्टी मिलने का अनुमान है। सीएसई के विशेषज्ञों ने इस हिसाब से अनुमान लगाया है कि इस साल खान से प्रभावित स्थानीय समुदाय के लिए चार हजार करोड़ से अधिक की राशि खनिज विकास कोष के माध्यम से मिल सकती है।